

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "6%" के स्थान पर, प्रविष्टि "9%" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/2/2025-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।